

उत्तराखण्ड शासन,
न्याय अनुभाग-1

संख्या : 320/xxxvi(1)एक/2009-184/2001 TC-II
देहरादून : दिनांक 07 दिसम्बर, 2009

अधिसूचना

राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधिनियम संख्या-39 सन् 1987) की धारा 6 के अधीन उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति श्री तरुण अग्रवाल, न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय को तत्काल प्रभाव से नाम निर्दिष्ट करते हैं।

आज्ञा से,
Mulakimul
(आर0डी0 पालीवाल)
सचिव।

संख्या : 320(i)/xxxvi(1)एक/2009-184/2001 TC-II तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बोनाल)
अपर सचिव।

संख्या : 320(ii)/xxxvi(1)एक/2009-184/2001 TC-II तददिनांक।

- प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
 - 2- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
 - 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 5- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
 - 6- समस्त जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
 - 7- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 8- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
 - 9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
 - 10- गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,
MolBawal
(हीरा सिंह बोनाल)
अपर सचिव।